कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com & dfo-hazaribaghwest@gov.in

पत्रांक 2852 दिनांक 11/6/25

सेवा में,

प्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड, 5वीं तल्ला,
पूर्वी ब्लॉक, मेकन हेड ऑफिस कम्प्लेक्स,
डोरण्डा, रांची, झारखण्ड– 834002।

विषयः– **मेसर्स गेल इण्डिया लिमिटेड (GAIL) के जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धमरा गैस पाईपलाईन प्रोजेक्ट (JHBDPL Project) कुल रकवा 113.3603 हे0 (रकवा हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल 21.7740 हे0) वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का पत्रांक 70 दिनांक 20.01.2025, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक 883 दिनांक 08.05.2025 एवं आपका पत्रांक 03 दिनांक 31.05.2025 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 2293 दिनांक 08.05.2025।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंग के संदर्भ में सूचित करना है कि जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धमरा गैस पाईप लाईन परियोजना हेतु 21.7740 हे0 वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/JH/Others/27162/2014/3315 दिनांक 29.07.2019 द्वारा स्टेज–I की स्वीकृति कुल 19 शर्तो के साथ दी गई है। विषयक प्रस्ताव में अपयोजित होने वाली वन भूमि 21.7740 हे0 की विवरणी निम्नवत है :–

1	अधिसूचित वन भूमि	19.4660 हे0
2	राजस्व अभिलेख में दर्ज जंगल–झाड़ी भूमि	2.3080 हे0
	कुल :–	21.7740 हे0

प्रसांगिक पत्र द्वारा प्राप्त निदेश के अनुसार वर्तमान मूल्य पर एन0पी0भी0 की राशि का डिमांड किया जाना है, जो निम्नवत है :–

1	1.	प्रस्तावित वन भूमि 21.7740 हे0 का शुद्ध मूल्य–12,28,590.00 रू0 प्रति हे0 के दर से	2,67,51,318.66
	2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में जमा की गयी राशि –	1,36,30,524.00
	अवशेष राशि –		**1,31,20,794.66**
2	1.	NPV for Violation under report- 1.016 हे0 की प्रति हे0 वर्तमान मूल्य –12,28,590.00 का 20%= 2,49,649.49 का 12% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से Interest for eight month (Interest Amount- Rs. 19,971.96) के साथ	2,69,621.45
	2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में जमा की गयी राशि –	1,37,381.00
	अवशेष राशि –		**1,32,240.45**
	कुल राशि – (1,31,20,794.66+1,32,240.45) = 1,32,53,035.11		

उल्लेखनीय है कि वर्तमान वन–स्थिति के अनुसार Dense Forest Eco-Class-III में उल्लेखित राशि रू0 12,28,590.00 प्रति हे0 निर्धारित है तथा इसी आधार पर राशि की मांग की जा रही है, जिसपर अधोहस्ताक्षरी के स्तर से लोकहित में पुनर्विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतएव उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि Additional NPV के शेष राशि 1,32,53,035.11 (एक करोड बतीस लाख तीरपन हजार पैंतीस रू0 ग्यारह पैसे) झारखण्ड राज्य के कैम्पा खाता में ऑनलाईन जमा करते हुए पावती ऑनलाईन रसीद इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

विश्वासभाजन,

11/06/25

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।
मोहनपुर, पोस्ट–पचम्बा, जिला–गिरिडीह, पिन कोड–815316
email-dfo-giridiheast@gov.in, Phone No.-06532-222127

पत्रांक– 1615 दिनांक– 11/06/2025

सेवा में,

Senior Manager (construction),
Gail (India),
Doranda, Ranchi,
Pin No.-834002

विषय – M/s Gail (India) लिमिटेड के जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धमरा गैस पाईप लाईन परियोजना हेतु 113.4947 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग–
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक–FP/JH/Others/27162/2017/739 दिनांक–23.12.2024
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–70 दिनांक–20.01.2025
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–5–3/2011–एफ0सी0(भोलूम–1) दिनांक–06.01.2022 एवं पत्रांक–5–3/2011–एफ0सी0(भोलूम–1) दिनांक–22.03.2022
4. इस कार्यालय का पत्रांक–282 दिनांक–06.02.2025 एवं पत्रांक–1455 दि0–28.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में सूचित करना है कि इस कार्यालय का पत्रांक–1455 दिनांक–28.05.2025 को संशोधित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में M/s Gail (India) लिमिटेड के जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धमरा गैस पाईप लाईन परियोजना के निर्माण हेतु इस प्रमण्डल अन्तर्गत अपयोजित होने वाले वन भूमि एवं जंगल झाड़ी कुल रकवा 3.2344 हे0 के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–5–3/2011–एफ0सी0 (भोलूम–1) दिनांक–06.01.2022 एवं पत्रांक–5–3/2011–एफ0सी0(भोलूम–1) दिनांक–22.03.2022 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में लागू वर्तमान एन0पी0भी0 दर एवं वर्तमान निर्धारित पैनल एन0पी0भी0 निम्नवत् है:–

एन0पी0भी0

1. वर्तमान एन0पी0भी0 दर पर जमा की जाने वाली एन0पी0भी0 राशि– (957080.00 रू0 प्रति हे0 की दर से 3.2344 हे0 का)	3097844.00
2. ततसमय दर पर जमा की गई एन0पी0भी0 की राशि – (6,26,000.00 प्रति हे0 की दर से 3.2344 हे0 का)	2024734.00
कुल अवशेष देय राशि–	**1073110.00**

पैनल एन0पी0भी0

1. निर्धारित पैनल एन0पी0भी0 दर पर जमा की जाने वाली पैनल एन0पी0भी0 राशि— 126158.78
   (957080.00 रू0 प्रति हे0 की दर से 0.6586 हे0 का 20%)
2. 174 दिनों का पैनल एन0पी0भी0 12% की दर पर साधारण व्याज ———————— 7216.97

कुल — 133375.76

3. ततसमय दर पर जमा की गई पैनल एन0पी0भी0 की राशि — (—) 87173.70
   (6,26,000.00 प्रति हे0 की दर से 0.6586 हे0 का)

कुल अवशेष देय राशि— 46202.06

भारत सरकार के प्रासंगिक पत्रांक—5—3/2011—एफ0सी0(भोलूम—1) दिनांक—22.03.2022 के कण्डिका (b) के अनुसार विषयक परियोजना पर वर्तमान एन0पी0भी0 दर पर एन0पी0भी0 की राशि जमा किया जाना लागू होता है।

अतः अनुरोध है कि एन0पी0भी0 की उक्त अवशेष देय राशि 1073110.00 (दस लाख तिहतर हजार एक सौ दस रूपये) एवं निर्धारित पैनल एन0पी0भी0 की राशि 46202.06 (छियालीस हजार दो सौ दो रूपये छः पैसे) झारखण्ड कैम्पा खाता (E-portal) पर ऑनलाईन चलान जरनेट करते हुए चलान के माध्यम से उक्त राशि जमा करते हुए राशि जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

11/6/25

D:\2025-26\FC ACT\Letter\G.M construction.doc

कार्यालय :– वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल

वन भवन–1, हजारीबाग, 825301 (झारखण्ड)

E-mail: dfo-hazaribagheast@gov.in; dfohazaribagheast@gmail.com

पत्रांक : 353 दिनांक : 18/02/25

सेवा में,

Manager (Construction)
Gail (India) Limited
5th Florr, North Wing at Eastern Block
Doranda, Ranchi, Jharkhand.

विषय :– **Ms/ Gail (India) लिमिटेड के जगदीशपूर–हल्दिया–बोकारो–धमरा गैस पाईप लाईन परियोजना हेतु 113.4947 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का पत्रांक 70 दिनांक 20.01.2025 एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का ज्ञापांक 155 दिनांक 31.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा निर्देशिका 2023 में उल्लेखनीय है कि "As per para 3.3 (b) of Chapter 3 of Consolidated Guidelines and Clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) rules, 2023, the new increased rates of NPV shall be applicable in the present case".

तत्क्रम में प्रासंगिक पत्र के द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली के पत्राक 5-3/20211-FC-(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 द्वारा जारी Revised rates of NPV के आधार पर Differential NPV amount की राशि जमा की जानी है।

पूर्व में आपके द्वारा अपयोजित होनेवाली भूमि 12.7184हे0 के लिए 887000/– की दर से कुल राशि 11281220.80 रूपये जंमा की गई थी। परंतु उक्त आदेश के आलोक में 12.7184हे0 हेतु अपयोजित वनभूमि का Revised rates 1357110.00 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल राशि 17260268.00 रूपये होता है जिसका Differential amount (17260268.00–11281220.80) की राशि 5979047.02 (उनसठ लाख उन्नासी हजार सैंतालिस रूपये दो पैसे) जमा किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि Differential amount की राशि 5979047.02 (उनसठ लाख उन्नासी हजार सैंतालिस रूपये दो पैसे) झारखण्ड कैम्पा मद E-portal पर ऑनलाईन Challan generate करते हुए राशि जमा की जाय एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जाय।

<u>अनुलग्नक–यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन

18/2/25

वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल।

18-2-2025

कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची।
वन भवन, डोरण्डा, रांची- 834002 (झारखंड)
E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651-2482386

पत्रांकः– 521 दिनांकः– 27-02-2025

सेवा में,

प्रबंधक (निर्माण),
गेल इंडिया लिमिटेड,
5 वां तल, पूर्वी ब्लॉक,
मेकॉन प्रधान कार्यालय परिसर,
डोरण्डा, राँची।

गेल इंडिया लिमिटेड
In No. 559
Dt. 3/3/25
Out No. ....
Dt. ....
राँची

विषयः– **M/s Gail (India) लिमिटेड के जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धमरा गैस पाईप लाईन परियोजना हेतु 113.4947 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–70 दिनांक–20.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र (छायाप्रति संलग्न) के संदर्भ में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–5–3/2011–FC (Vol-I) दिनांक–06.01.2022 एवं दिनांक–22.03.2022 द्वारा जारी Revised NPV Rate के आलोक में विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	विवरणी	रकम (रू0 में)
1.	NPV की राशि– 15.9036 हे0 x 1228590/- रूपये प्रति हेक्टेयर	19539004.00
2.	पूर्व में जमा की गई NPV की राशि– 15.9036 हे0 x 803000/- रूपये प्रति हेक्टेयर	12770591.00
3.	अंतर राशि	6768413.00
	कुल–	**6768413.00**

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त विवरणी के अनुसार कुल रू0–**67,68,413.00** (सड़सठ लाख अड़सठ हजार चार सौ तेरह) मात्र को परिवेश पोर्टल पर e- चालान generate कर समर्पित करते हुए सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी
27/02/25
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
राँची वन प्रमण्डल, राँची।
27/4/25

Office of the Divisional Forest Officer, Chatra South Forest Division, Chatra.

E-mail :dfo-chatrasouth@gov.in Phone : 8987790213

To

Letter No. 530 Date: 08.03.2025

Sri B.P. Toppo, Senior Manager(Construction),
GAIL,(India) Limited, 5th Floor, East Block,
Chief Office Campus Mecon, Doranda, Ranchi.

Subject :- Diversion of 113.4947 ha. (Chatra South 5.2673 ha.) of forest land for Jadishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra gas pipe line project in favour of M/s GAIL (India) Limited in Jharkhand.

Ref. :- MoEF&CC, GoI, Regional Office Ranchi letter no-FP/JH/Others/27162/2017/3315 Dated-29 July 2019 , Letter no- FP/JH/Others/27162/2017/739 Dated-23-12-2024 and ED Nodal, Jharkhand, Ranchi Memo no-70 Dated-20.01.2025

Sir,

With reference to subject matter cited above it is to inform that, through captioned letter MoEF&CC, GoI, Regional office, Ranchi has informed the subject project was granted in-principle approval on 29.07.2019 vide letter no-FP/JH/Others/27162/2017/3315 and the the compliance report of it seeking final approval is submitted by the State Forest Department on 11.11.2024 through online, which is more then 5 years since Stage-I issuance. Also, the MoEF&CC, GoI, Regional office, Ranchi has instructed that as per para 3.3 (b) of chapter 3 of Consolidated Guidelines and Clarifications issued under Van (Sanrakhshan Evam Samvardhan) Adhiniyam,1980 and Van(Sanrakhshan Evam Samvardhan) rules, 2023, the new increased rates of NPV shall be applicable in the present case. Therefore, as per above instructon by MoEF&CC,GoI the demand for differential NPV amount is being raised as per thr revised rates of NPV.

A. **NPV Demand: As per Condition No 4 (a) of In-principle approval**

- Density of forest proposed for diversion :- 0.3
- Eco-class :-3

Hence, applicable rate of NPV per ha. as per prevailing rates: Rs. 9,57,780.00 (Nine Lakhs Fifety-Seven Thousand Seven Hundred Eighty Rupees).

Total for 5.2673 Ha. (9,57,780.00.00lakh/ ha x 5.2673 ha) = Rs. 50,44,914.594 or 50,44,920.00 (Fifty lac Forty-Four Thousant Nine Hundred Twenty only).

Now as per letest instruction of MoEF&CC to raise differential NPV as per the revised rates.

Previously paid amount for NPV is Rs. 32,97,330.00 (Thirty-Two Lac Ninety-Seven Thousant Three Hundred Thiry Only)

After adjusting previously paid NPV amount (50,44,920.00 - 32,97,330.00) = Rs. 17,47,590.00 (Seventeen Lac Forty-Seven Thousand Five Hunderd Ninety only).

Therefore, it is requested to deposit the differential NPV amount as per thr revised rates of NPV i.e Rs. 17,47,590.00 (Seventeen Lac Forty-Seven Thousand Five Hunderd Ninety only) in CAMPA Account. The amount should be deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in) against 5.2673 ha of forest land in favor of Chatra South Forest Division .

Sent for necessary action.

Your Faithfully,

Divisonal Forest Officer
Chatra South Forest Division, Chatra.
08/03/2025 08.03.2025

Office of the Divisional Forest Officer, Seraikela Forest Division
Dist. Seraikela-Kharsawan
e-mail- dfo-saraikela@gov.in Telefax No.06597-234891(O)

Letter No.....872..........dt.......28/03/2025

To,

Sri B.P.Toppo, Senior Manager (Construction)
GAIL, (India) Limited, 5th Floor, East Block
Chief Office Campus Mecon, Doranda, Ranchi

Subject :- Diversion of 113.4947 ha. (Seraikela Forest Division 7.5425 ha.) of forest land for Jagdishpur-Haldia-Bakaro-Dhamra gas pipe line project in favour of M/s. GAIL (India) Limited in Jharkhand.

Ref. :- MoEF & CC, GoI, Regional Office, Ranchi letter no. FP/JH/Other /27162/2017/3315 dated 29 July 2019, Letter No. FP/JH/Other /27162/2017/739 dated 23.12.2024 and ED Nodal, Jharkhand, Ranchi Memo No. 70 dated 20.01.2025

Sir,

With reference to subject matter cited above it is to inform that, though captioned letter MoEF & CC, GoI, Regional Office, Ranchi has informed the subject project was granted in-principle approval on 29.07.2019 vide letter no. FP/JH/Other /27162/2017/3315 and the compliance report of it seeking final approval is submitted by the State Forest Department on 11.11.2024 through online, which is more then 5 years since Stage-1 issuance. Also, the MoEF & CC, GoI, Regional Office, Ranchi has instructed that as per para 3.3 (b) of chapter 3 of Consolidated Guidelines and Clarifications issued under Van (Sanrakhshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakhshan Evam Samvardhan) Rule 2023, the new increased rates of NPV shall be applicable in the present case. Therefore, as per the above instruction by MoEF & CC, GoI, the demand for differential NPV amount is being raised as per the revised rates of NPV.

A. NPV Demand : As per Condition No 4 (a) of In-principle approval

- Density of forest proposed for diversion :- 0.3
- Eco-class- 3

Hence, applicable rate of NPV per ha. as per the prevailing rate :- 957780.00 (Rupees Nine Lakhs Fifty Seven Thousand Seven Hundred Eighty only)

Total for 7.5425 ha. (957780.00 / ha. X 7.5425 ha.) = Rs. 7224055.65 or 7224060.00 (Rupees Seventy Two lakhs Twenty Four Thousand Sixty only)

Now as per latest instruction of MoEF & CC to raise differential NPV as per the revised rates.

Previously said amount for NPV is Rs. 4721605.00 (Rupees Forty Seven Lakhs Twenty One Thousand Six Hundred Five only)

After adjusting previously paid NPV amount 7224060.00 – 4721605.00 = 2502455.00 (Rupees Twenty Fifty Lakhs Two Thousand Four Hundred Fifty Five only)

Therefore, it is requested to deposit the differential NPV amount as per the revised rates of NPV i.e. Rs. 2502455.00 (Rupees Twenty Fifty Lakhs Two Thousand Four Hundred Fifty Five only) in CAMPA Account. The amount should be deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in) against 7.5425 ha. of forest land in favour of Seraikela Forest Division,

Yours faithfully,

28/3/25

Divisional Forest Officer
Seraikela Forest Division

28/03/2025

कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी।
चाईबासा रोड, कामंता, खूँटी (835210)
E-mail:- dfo-khunti@gov.in

पत्रांक :– 522 खूँटी / दिनांक :– 26/03/25

सेवा में,

मुख्य प्रबंधक (निर्माण)
M/S GAIL (India) Ltd.
5th Floor, East Block,
Mecon Complex, Doranda,
Ranchi.

विषय :– **M/S GAIL (India) Ltd. के जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–घमरा गैस पाईप लाईन परियोजना हेतु 113.4947 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–70 दिनांक–20.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयगत परियोजना को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक–FP/JH/Others/27162/ 2017/3315 दिनांक–29.07. 2019 द्वारा सैद्धांतिक सहमति (स्टेज–I) स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन भारत सरकार के कार्यालय में दिनांक–11.11.2024 को प्राप्त हुआ है, जो कि स्टेज–I स्वीकृति मिलने के पाँच वर्षों के पश्चात् प्राप्त हुआ है।

(2) प्रासंगिक पत्र द्वारा अधोहस्ताक्षरी को निदेश प्राप्त हुआ है कि **"As per para 3.3(b) of chapter 3 of Consolidated Guidelines and Clarifications issued under van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and van (Sanrakshan Evam Samvardhan) rules, 2023 the new increased rates of NPV shall be applicable in the present case"**

(3) विषयगत परियोजना में खूँटी वन प्रमण्डल के अधीनस्थ कुल–0.7292 हे0 वनभूमि आच्छादित है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक–FP/JH/Others/27162/2017/3315 दिनांक–29.07.2019 द्वारा दी गई सैद्धांतिक सहमति के आलोक में आपके द्वारा पूर्व में NPV मद के तहत कुल–रु0 5,85,548.00/– (पाँच लाख पचासी हजार पाँच सौ अड़तालीस रूपये) मात्र जमा कर दी गई है।

(4) कंडिका–2 में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–5-3/2011-F.C (Vol-I) दिनांक–06.01.2022 द्वारा निर्गत Revised rates of NPV के आधार पर विषयगत परियोजना में खूँटी वन प्रमण्डल के प्रशासनिक क्षेत्राधीन कुल–0.7292 हे0 आच्छादित वनभूमि का Net Present Value कुल–8,95,887.00/– (आठ लाख पंचानवे हजार आठ सौ सतासी रूपये) मात्र है। इसकी गणना **अनुलग्नक–1** में संलग्न है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः विषयगत परियोजना का वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय से स्टेज–II की प्राप्ति हेतु Differential N.P.V की राशि अर्थात् रु0 3,10,339.00 /– (तीन लाख दस हजार तीन सौ उन्नतालीस रूपये) मात्र E-Portal (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से झारखण्ड कैम्पा खाते में जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

26-3-25

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
खूँटी वन प्रमण्डल खूँटी।

Arvind//D/Nitesh//Gail India Pipe Line

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालयः—वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला

E-mail :forest-gumla@jharkhandmail.gov.in
Mobile No. – 8987790115
Pin Code - 835207

पत्रांक ......542...................... / दिनांक ..10/02/2025........... /

सेवा में,

प्रबंधक,
गेल (इण्डिया) लिमिटेड,
5वीं मंजिल, पूर्वी ब्लॉक,
मेकॉन कम्पलेक्स, डोरण्डा,
राँची—834002

विषय :— M/S GAIL (India) लिमिटेड के जगदीशपुर—हल्दिया—बोकारो—धमरा गैस पाईप लाईन परियोजना हेतु 113.4947 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः— प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बजंर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 70 दिनांक 20.01.2025 एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला का पत्रांक 120 दिनांक 22.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत् भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/JH/Others/27162/2017/3315 दिनांक 29.07.2019 द्वारा 19 शर्तो के साथ 113.4947 हे0 (गुमला वन प्रमंडल अंतर्गत 0.2518 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति (Stage–I) प्रदान की गई है। जिसका अनुपालन भारत सरकार को पाँच वर्षो के बाद प्राप्त हुआ है।

प्रसांगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिये गये निर्देशानुसार, भारत सरकार द्वारा जारी Van (Sanrakhshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 1980 and Van (Sanrakhan Evam Samvardhan) Rules, 2023 के Chapter 3 की कंडिका 3.3 के अनुरूप Eco Class III, Open Forest के लिये निर्धारित 957780.00 रू0 प्रति हे0 की दर से NPV की गणना निम्न प्रकार हैः—

1	3	3	4	5
ECO Class	अपयोजित होने वाला रकबा (हे0)	पूर्व में जमा की गई NPV की राशि @626000/ha	अद्यतन दर के अनुरूप NPV की राशि @957780/ha	NPV की अन्तर राशि (4—3)
III, Open Forest	0.2518	157627.00	241169.00	83542.00

अतः अनुरोध है कि नये संशोधित दर के अनुसार NPV मद में अंतर राशि 83542.00 (तिरासी हजार पाँच सौ बयालिस) रूपये मात्र e-portal (http://parivesh.nic.in) पर Online Challan जमा करते हुए उसी पावती रसीद मूल रूप में इस कार्यालय में जमा करने की कृपा की जाए। किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि RTGS/NEFT/DD/Cash के माध्यम से जमा नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
गुमला वन प्रमंडल, गुमला।

कार्यालयः— वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा

E-mail : dfo-simdega@gov.in
Mobile No. – 8987790117
Pin Code - 835235

पत्रांक 143 / दिनांक 24/01/2025

सेवा में,

प्रबंधक,
गेल (इण्डिया) लिमिटेड,
5वीं मंजिल, पूर्वी ब्लॉक,
मेकॉन कम्पलेक्स, डोरण्डा,
रांची–834002

विषयः– **M/s GAIL (India) लिमिटेड के जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धमरा गैस पाईप लाईन परियोजना हेतु 113.4947 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला का ज्ञापांक–120, दिनांक–22.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि भारत सरकार द्वारा विषयगत परियोजना हेतु वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर 19 शर्तों के साथ Stage-I की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें निहित शर्त संख्या 4 (a) के अनुपालन हेतु NPV मद में संशोधित दर 9,57,780.00 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रूपये 81,04,830.00 मात्र होता है। पूर्व में NPV मद में आपके द्वारा इस प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजित होने वाले कुल रकबा–8.4621 हे0 वनभूमि की Eco class-III, Open forest मानते हुए 6,26,000.00 प्रति हेक्टेयर की दर से NPV मद की संशोधित राशि रूपये 52,97,275.00 (रूपये बावन लाख सन्तानबे हजार दो सौ पचहत्तर) मात्र e-portal के माध्यम से Online challan द्वारा जमा की गई थी। नये संशोधित दर के अनुसार NPV मद में अतिरिक्त राशि 28,07,555.00 रूपये मात्र e-portal (http://parivesh.nic.in)के माध्यम से Online challan द्वारा जमा करने के उपरान्त साक्ष्य की प्रति सहित विहित प्रपत्र में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

24/01/25
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा।
24/01/2025

कार्यालय :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।
वन भवन – चतरा, (झारखण्ड) – 825401
फोन नं0– **06541-296022, Email : (1) dfo-chatranorth@gov.in (2) dfochatranorth@gmail.com**

पत्रांक :–1014 **दिनांक :–**05.05.25

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा उत्तरी वन प्रमंडल।

सेवा में,

श्री बी०पी० टोप्पो
प्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड, 5वाँ तल्ल,
पूर्वी ब्लॉक, मेकॉन प्रधान कार्यालय
परिसर, डोरंडा, राँची, झारखण्ड- 834002

विषय :- **मेसर्स गेल इंडिया लिमिटेड के जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धमरा गैस पाईप लाईन परियोजना निर्माण हेतु 113.4947 हे० (चतरा उत्तरी-13.0825 हे०) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :- भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/JH/Others/27162/2014/3315 दिनांक 29.07.2019 एवं पत्रांक FP/JH/Others/27162/2017/739 दिनांक 23.12.2024, इस कार्यालय का पत्रांक 224 दिनांक 30.01.2025 एवं आपका पत्रांक 339 दिनांक 15.04.2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंग के संदर्भ में सूचित करना है कि भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/JH/Others/27162/2014/3315 दिनांक 29.07.2019 द्वारा मेसर्स गेल इंडिया लिमिटेड की जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धमरा गैस पाईप लाईन परियोजना निर्माण हेतु 113.4947 हे० निर्माण में चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल के अंतर्गत अपयोजित वनभूमि रकवा 13.0825 हे० में प्रथम चरण की सैद्धांतिक सहमति 19 शर्तों के साथ दी गई थी, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन भारत सरकार के कार्यालय में दिनांक 11.11.2024 को स्टेज-। स्वीकृति मिलने के पाँच वर्षों पश्चात् प्राप्त हुआ है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि "As per para 3.3 (b), Chapter-3 of Consolidated Guidelines and Clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) rules, 2023, the new increased rates of NPV shall be applicable in the present case"

उक्त के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 70 दिनांक 20.01.2025 से प्राप्त निदेश पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 5-3/2011-FC (Vol – I) दिनांक 06.01.2022 द्वारा निर्गत अद्यतन Consolidated Guidelines के अनुरूप Revised Rate पर NPV की गणना कर पूर्व में भुगतान

की गई राशि को घटाकर वर्तमान वन-स्थिति के आधार पर शेष राशि की मांग की गयी थी, जिसकी विवरणी निम्नवत् हैः-

Revised Rate पर NPV की राशि - 13.0825ha. x ₹12,28,590.00 प्रति हे० -	₹1,60,73,029.00
पूर्व में जमा की गई NPV की राशि -13.0825ha. x ₹6,26,000 प्रति हे० -	₹81,89,645.00
Additional NPV की शेष राशि -	**₹78,83,384.00**

उल्लेखनीय है कि वर्तमान **वन-स्थिति** के अनुसार Dense Forest Eco-Class-III में उल्लेखित राशि ₹12,28,590.00 प्रति हे० निर्धारित है, तथा इसी आधार पर राशि की मांग की जा रही है, जिसपर अधोहस्ताक्षरी के स्तर से लोकहित में पुर्नविचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतएव उपरोक्त के आलोक में निर्देश है कि Aditional NPV की **शेष राशि ₹78,83,384.00 (अठहत्तर लाख तेरासी हजार तीन सौ चौरासी रूपये मात्र)** झारखण्ड राज्य के कैम्पा खाता में मात्र ऑनलाईन ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से जमा करते हुए पावती ऑनलाईन रसीद अनुपालन के रूप में इस कार्यालय को अभिलेख हेतु उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

05/05/2025

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा उत्तरी वन प्रमंडल।

05/05/2025

05/5/25

कार्यालय :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो।
BLOCK-A, VAN BHAWAN, PURULIA ROAD, CHAS, BOKARO-827013
E-mail : dfo-bokaro@gov.in & bokarodfo@gmail.com Phone No : +91 8987790304

पत्रांक :– 245 दिनांक :– 18/02/2025

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबंधक(निर्माण),
गेल इंडिया लिमिटेड,
5वाँ तल्ला,पूर्वी ब्लॉक,
मेकॉन प्रधान कार्यालय परिसर,
डोरंडा, राँची,पिन–834002

विषय :– **मेसर्स गेल इंडिया लिमिटेड के जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धमरा गैस पाईप लाईन परियोजना हेतु कुल रकवा–113.4947 हे0 (बोकारो वन प्रमण्डल अन्तर्गत कुल रकवा–22.65 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– (1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्याकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड राँची का पत्रांक–70 दिनांक–20.01.2025
(2) इस कार्यालय का पत्रांक–2467 दिनांक–07.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धमरा गैस पाईप लाईन परियोजना हेतु 22.65 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची का पत्रांक–3315 दिनांक–29.07.2019 द्वारा Stage-I की स्वीकृति कुल–19 शर्त्तों के साथ दी गयी है। विषयक प्रस्ताव में अपयोजित होनेवाली वनभूमि 22.65 हे0 का विवरणी निम्नवत है–

1.	अधिसूचित वनभूमि	4.5120
2.	राजस्व अभिलेख में दर्ज जंगल–झाड़ी भूमि	18.1380
	कुल–	22.65 हे0

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्याकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड राँची के प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार वर्त्तमान मूल्य पर NPV राशि का डिमान्ड किया जाना है, जो निम्नवत है–

1.	1. प्रस्तावित वनभूमि 22.65 हे0 का शुद्ध वर्त्तमान मूल्य–1228590.00 रू0 प्रति हे0 के दर से (वनों का घनत्व–0.5, Eco-Class-III) 2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में जमा की गयी राशि-	2,78,27,564.00 -1,81,87,950.00
	अवशेष राशि	96,39,614.00
2.	1. NPV for violation under report-1.852 हे0 की प्रति हे0 वर्त्तमान मूल्य–1228590.00 दर से–2275348.68 का 20% = 455069.736 का 12% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से Interest from February,2019 to August, 2019 (Interest Aount- 31855.00) के साथ 2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में जमा की गयी राशि-	4,86,925.00 -3,18,252.00
	अवशेष राशि	1,68,673.00
	कुल राशि-(9639614.00 + 168673.00)= 9808287.00	

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मांग पत्र के अनुसार कुल–98,08,287.00 रू0 झारखण्ड कैम्पा खाता में ऑनलाईन्त जमा कराते हुए इसकी सूचना इस कार्यालय को दें, ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई किया जा सके।

विश्वासभाजन,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो।
18/02/2025

ज्ञापांक– 245 दिनांक– 18/02/2025

प्रतिलिपि :– 1. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल बोकारो को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बोकारो को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्याकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड राँची को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो।
18/2/2025

कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0–मरार, जिला–रामगढ़ पिन–829117)

Email id – dfo-ramgarh@gov.in, Landline- 06553-296061, Mobile No-8987790306

पत्रांकः– 262 दिनांकः– 27/01/25

सेवा में,

वरीष्ठ प्रबंधक, (निर्माण),
गेल (इण्डिया) लिमिटेड,
5वी. मंजिला, पूर्वी ब्लॉक,
मेकॉन प्रधान कार्यालय परिसर,
डोरण्डा, रांची–834002
Email- manishk@gail.co.in

विषय :– **M/s Gail (India) Limited के जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धरमा गैस पाईप लाईन परियोजना हेतु 1.8789 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के द्वितीय चरण की स्वीकृति संबंध में।**

प्रसंग:– **1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का पत्रांक–70 दिनांक 20.01.2025**
2. इस कार्यालय का पत्रांक– 2138 दिनांक 20.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक– FP/JH/Others/27162/2017/3315 dated 29.07.2019 द्वारा प्रथम चरण की स–शर्त स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रथम चरण की स्वीकृति में लगाए गए शर्त संख्या– 4(a) के तहत विषयगत प्रस्ताव में रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि 1.8789 हे0 पर तत्कालीन प्रचलित दर पर एन0पी0भी0 की राशि की मांग इस कार्यालय के प्रसंगाधीन पत्र (2) द्वारा की गई थी, जिसके आलोक में आपके द्वारा शर्त का अनुपालन करते हुए राशि कैम्पा लेखा खाता में जमा की जा चुकी है।

विदित हो कि "As per para 3.3 (b) of Chapter 3 of Consolidated Guideline and Clarification issued under Van(Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) rules, 2023, the new increased rate of NPV shall be applicable in the present case"

अतः प्रसंगाधीन पत्र (2) (छाया प्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–5-3/2011-FC (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 द्वारा जारी revised rates of NPV के आधार पर Differential NPV amount हेतु राशि की गणना निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	भारत सरकार द्वारा लगाए गए शर्त संख्या	संशोधित दर पर मांग की राशि	पूर्व में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गई राशि	अवशेष राशि
1	शर्त संख्या–**4(a)** के अन्तर्गत विषयगत परियोजना में प्रस्तावित 1.8789 हे0 वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि (वनों का घनत्व–0.8) @13,57,110	25,49,874.00	16,66,584.00	8,83,290.00
	कुल राशि=			**8,83290.00**

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त राशि का चालान generate करते हुए e-portal parivesh.nic.in के द्वारा कैम्पा लेखा खाता में जमा करते हुए इसकी सूचना इस कार्यालय में भी समर्पित करना सुनिश्चित करें, ताकि इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी जा सके।

आपका विश्वासी,

Nitish
27/01/25

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ।